बाल विवाह निषेध
अधिनियम, 2006

SATYARTHI

KAILASH SATYARTHI CHILDREN'S FOUNDATION

बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006

इस अधिनियम का उद्देश्य विवाह को रोकना है, जहां दूल्हा या दुल्हन विवाह योग्य आयु (लड़कियों के मामले में 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष) से कम है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि समाज से बाल विवाह का उन्मूलन हो, भारत सरकार ने बाल विवाह पर बने पहले के विधान *बाल विवाह निषेध अधिनियम, 1929* को बदलकर *बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006* को अधिनियमित किया। इस नये अधिनियम में बाल विवाह पर रोक लगाने, पीड़ित को राहत और सुरक्षा देने का प्रावधान है तथा यह अधिनियम उन लोगों के लिए सज़ा में वृद्धि करता है, जो ऐसे विवाह को बढ़ावा देते हैं या ऐसा विवाह करने के लिए बहकाते हैं या ऐसा विवाह कराते हैं|

परिभाषाएँ

- **बालक:** बच्चा वह व्यक्ति है, जिसने यदि पुरुष है तो 21 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है और यदि नारी है, तो अट्ठारह वर्ष की आयु पूरी नहीं की है|

- **बंधन में आने वाले पक्षकार**: दोनों पक्षों में से कोई भी एक पक्ष, जिसका विवाह है या विवाह होने वाला है

- **बाल-विवाह:** बाल-विवाह का अर्थ ऐसे विवाह से है, जिसके बंधन में आने वाले दोनों पक्षकारों में से कोई बालक है

- **अवयस्क:** अवयस्क का मतलब ऐसे व्यक्ति से है, जिसे *वयस्कता अधिनियम, 1875* के अधीन वयस्क नहीं माना जाता है

- **शून्यकरणीय विवाह (धारा 3)**: प्रत्येक ऐसा बाल-विवाह शून्यकरणीय होगा, जिसमें विवाह बंधन में आने वाला कोई भी पक्षकार विवाह के समय बालक हो| चाहे ऐसा विवाह इस अधिनियम के आने से पहले सम्पन्न हुआ हो, या बाद में| ऐसे बाल-विवाह के संबंध में, विवाह बंधन में आने वाले ऐसे पक्षकार द्वारा, जो विवाह के समय बालक था, जिला न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करके शून्यता का फरमान प्राप्त किया जा सकता है। न्यायालय में अर्जी फ़ाइल किए जाने के समय, अर्जीदार यदि अवयस्क है, तो अर्जी उसके संरक्षक या वाद-मित्र के साथ-साथ बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के माध्यम से फ़ाइल की जा सकती है| बालविवाह के बंधन में बालक-बालिका वयस्क होने के दो साल के भीतर जिला न्यायालय में अर्जी दायर कर सकते हैं| डिक्री प्रदान करते समय जिला न्यायालय, विवाह के दोनों पक्षकारों और उनके माता-पिता या उनके संरक्षकों को यह निदेश देते हुये आदेश करेगा कि, वे दूसरे पक्षकार, उसके माता-पिता या संरक्षक को विवाह के अवसर पर, उसको दूसरे पक्षकार से प्राप्त प्राप्त धन, मूल्यवान वस्तुएं, आभूषण और अन्य उपहार या ऐसी मूल्यवान वस्तुओं, आभूषणों, अन्य उपहारों के मूल्य के बराबर रकम और धन लौटा दें

बाल विवाह की शिकायत किससे और कहाँ करें:

- 1098, 1090 और 100 नंबर पर डायल करें
- शिकायत सीधे बाल विवाह निषेध अधिकारी से की जा सकती है
- नजदीकी पुलिस थाने में
- जिलाधिकारी से

बाल-विवाह के बंधन में आने वाली महिला पक्षकार के भरण-पोषण और निवास के लिए उपबंध (धारा 4):

डिक्री प्रदान करते समय, जिला न्यायालय बाल-विवाह के बंधन में आने वाले पुरुष पक्षकार को और यदि ऐसे विवाह के बंधन में आने वाला पुरष पक्षकार अवयस्क है, तो उसके माता-पिता या संरक्षक को, विवाह के बंधन में आने वाली महिला पक्षकार को, उसके पुनर्विवाह तक, भरण-पोषण और रखरखाव का भुगतान करने करने के लिए निदेश देते हुये अन्तरिम या अंतिम आदेश भी कर सकेगा| दिये जाने वाले भरण-पोषण की मात्रा का निर्णय, जिला न्यायालय द्वारा बालक की आवश्यकताओं, अपने विवाह के दौरान ऐसे बालक द्वारा भोगी गई जीवन शैली और भुगतान प्रदान करने वाले पक्षकार की आय के साधनों को ध्यान में रखते हुये किया जाएगा| भरण-पोषण की रकम का भुगतान मासिक या एकमुश्त राशि के रूप में करने का निदेश दिया जा सकेगा|

बाल-विवाह से जन्मे बालकों का भरण-पोषण और अभिरक्षा (धारा 4): जहां बाल विवाह से जन्में बालक हैं, वहाँ जिला न्यायालय ऐसे बालकों की अभिरक्षा के लिए समुचित आदेश करेगा| इस धारा के अधीन किसी बालक की अभिरक्षा के लिए, कोई आदेश करते समय, बालक के कल्याण और सर्वोतम हितों पर, जिला न्यायालय द्वारा सर्वोपरि ध्यान दिया जाएगा| न्यायालय रखरखाव के उचित आदेश भी देगा और मुलाक़ात के आदेश भी जारी करेगा।

बाल विवाहों से जन्मे बालकों की धर्मज़ता (धारा 6): डिक्री किए जाने से पहले ऐसे विवाह से जन्मा या गर्भाहित प्रत्येक बालक वैध माना जाएगा, भले ही न्यायालय द्वारा ऐसे विवाह को शून्यकरणीय घोषित कर दिया गया हो|

जिला न्यायालय के पास धारा 3, 4 और 5 के तहत जारी किए गए आदेशों को उपांतरित करने की शक्ति (धारा 7): जिला न्यायालय के पास धारा 3, 4 और 5 के तहत जारी किए गए किसी भी आदेश को संशोधित करने या निरस्त करने की शक्ति है, अर्थात्, यदि परिस्थितियों में कोई परिवर्तन है, तो अर्जी के लंबित रहने के दौरान किसी भी समय और अर्जी के अंतिम निपटारे के पश्चात भी किसी आदेश में जोड़ने, संशोधित या निरस्त करने की शक्ति होगी| जैसे कि - रखरखाव, निवास आदि के संबंध में लिए जाने वाले निर्णय|

वह न्यायालय, जिसमें अर्जी दी जानी चाहिए (धारा 8): बाल-विवाह के बंधन में आने वाली महिला पक्षकार के भरण-पोषण और निवास के लिए या बाल-विवाह से जन्मे बालकों के भरण-पोषण और अभिरक्षा के लिए आवेदन उस जिला न्यायालय के समक्ष ले जाया जा सकता है, जहां अधिकार क्षेत्र है|

- प्रतिवादी / बच्चा रहता है,
- जहाँ विवाह का उत्साव हुआ था या जहाँ पक्षकार अंतिम बार रहे थे या
- जहां याचिकाकर्ता याचिका की प्रस्तुति की तारीख पर निवास कर रहा है

कतिपय परिस्थितियों में किसी अवयस्क बालक के विवाह का शून्य होना (धारा 12):

- विधिपूर्ण संरक्षण की देखरेख से बाहर लाया जाता है या आने के लिए फुसलाया जाता है; या
- किसी स्थान से जाने के लिए बलपूर्वक बाध्य किया जाता है या किन्हीं प्रवंचनापूर्ण साधनों से उप्रेरित किया जाता है; या
- विक्रय किया जाता है और किसी रूप में उसका विवाह कराया जाता है; या
- यदि अवयस्क विवाहित है और उसके पश्चात उस अवयस्क का विक्रय किया जाता है या दुर्व्यापार किया जाता है या अनैतिक प्रयोजनों के लिए उसका उपयोग किया जाता है

वहाँ ऐसा विवाह अमान्य और शून्य होगा

बाल विवाहों को रोकने के लिए व्यादेश (निषेधाज्ञा) जारी करने की न्यायालय की शक्ति (धारा 13):

यदि प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट को बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के आवेदन पर, या किसी व्यक्ति द्वारा की गई शिकायत के माध्यम से या अन्यथा सूचना प्राप्त होने पर यह समाधान हो जाता है कि इस अधिनियम के उल्लंघन में बाल विवाह तय किया गया है या उसका अनुष्ठान किया जाने वाला है, तो ऐसा मजिस्ट्रेट ऐसे किसी व्यक्ति के विरुद्ध (जिसके अंतर्गत किसी संगठन का सदस्य या कोई व्यक्ति संगम भी शामिल है) ऐसे विवाह को प्रतिषिद्ध करने वाला व्यादेश निकालेगा|

प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट का न्यायालय किसी विश्वसनीय रिपोर्ट या सूचना के आधार पर स्वप्रेरणा से भी संज्ञान कर सकेगा|

कोई व्यादेश किसी व्यक्ति, किसी संगठन के सदस्य या व्यक्ति समूह के विरुद्ध तब तक नहीं निकाला जाएगा, जब तक कि न्यायालय ने ऐसे व्यक्ति, संगठन के सदस्य या व्यक्ति समूह को पहले से सूचना न दी हो और उसे या उनको व्यादेश निकाले जाने के विरुद्ध कारण दिखाने का अवसर न दे दिया हो|

हालांकि, तात्कालिकता के मामले में, अदालत के पास कोई सूचना दिए बिना अंतरिम व्यादेश निकालने की शक्ति होगी।

जो कोई व्यक्ति यह जानते हुये भी कि उसके विरुद्ध व्यादेश जारी किया गया है, उस व्यादेश की अवज्ञा करेगा, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी अथवा जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से दंडनीय होगा|

परंतु कोई भी महिला इस अधिनियम के तहत कारावास से दंडनीय नहीं होगी।
अक्षय तृतीया जैसे कुछ निश्चित दिनों में, सामूहिक बाल विवाह को रोकने के लिए, जिलाधिकारी उन सभी शक्तियों के साथ, बाल विवाह निषेध अधिकारी (सीएमपीओ) समझा जाएगा, जो इस अधिनियम के तहत बाल विवाह निषेध अधिकारी (सीएमपीओ) को दी गई हैं, ताकि बाल विवाह को रोकने के लिए वह सभी समुचित उपाय कर सकें और इस तरह के विवाह को रोकने के लिए अपेक्षित न्यूनतम बल का प्रयोग कर सकें|

व्यादेशों के उल्लंघन में बाल-विवाहों का शून्य होना (धारा 14)

किसी भी बाल विवाह के विरुद्ध जब व्यादेश जारी किया जाता है, चाहे वह अंतिम हो या अन्तरिम, और उस व्यादेश की अवज्ञा कर बाल विवाह का आयोजन किया जाता है, तो ऐसे विवाह को प्रारम्भ से ही शून्य माना जाएगा|

बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी और उनके कर्तव्य (धारा 16):

बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह -

- बाल विवाह के अनुष्ठान पर कार्यवाही करके उसे रोके
- इस अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के प्रभावी अभियोजन के लिए साक्ष्य एकत्र करना
- स्थानीय लोगों को सलाह दें कि वे बाल विवाह को बढ़ावा देने या उसके होने में सहायता देने या बाल विवाह होने की अनुमति देने या उसमें शामिल होने में अपना योगदान न दें
- बाल विवाह के परिणामस्वरूप होने वाली बुराई के बारे में जागरूकता पैदा करें
- बाल-विवाहों के मुद्दे पर समुदाय को संवेदनशील बनाएँ
- सरकार द्वारा निर्देशित किए जाने वाले विवरण और आंकड़े प्रस्तुत करें
- सरकार द्वारा सौंपे गए ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करें

इस अधिनियम के तहत अपराध और सजा

1) **बाल विवाह करने वाले पुरुष वयस्क के लिए दंड (धारा 9)** – जब अठारह वर्ष से अधिक आयु का कोई पुरुष वयस्क होते हुये बाल-विवाह करेगा, वह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक लाख रुपये तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से दंडनीय होगा|

2) **बाल विवाह का अनुष्ठान करने के लिए दंड (धारा 10)** – जो कोई किसी बाल विवाह को सम्पन्न करेगा, संचालित करेगा या निर्दिष्ट करेगा या दुष्प्रेरित करेगा, वह जब तक यह साबित न कर दे कि उसके पास यह विश्वास करने का कारण था कि वह विवाह बाल-विवाह नहीं था, वह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा और जुर्माने से भी, जो एक लाख रुपये तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा|

3) **बाल-विवाह के अनुष्ठान को बढ़ावा देने या उसे अनुमति देने के लिए दंड** – जहां कोई बालक बाल-विवाह करेगा, वहाँ ऐसा कोई व्यक्ति, जिस पर बालक की ज़िम्मेदारी है, चाहे वह माता-पिता अथवा संरक्षक हों, या अन्य कोई व्यक्ति, जिसमें किसी संगठन का सदस्य या व्यक्ति समूह शामिल है, वह कोई ऐसा कार्य करता है, जिससे बाल-विवाह को बढ़ावा या अनुमति मिले या वह ऐसे बाल-विवाह को रोकने में लापरवाही दिखाता है और विवाह रोक नहीं पाता तथा बाल विवाह में उपस्थित रहता है और अपना सहयोग देता है, वह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा और जुर्माने से भी, जो एक लाख रुपये तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा|

इस अधिनियम के तहत अपराध संज्ञेय और गैर जमानती है
परंतु कोई स्त्री कारावास से दंडनीय नहीं होगी|

NOTES

NOTES

SATYARTHI

KAILASH SATYARTHI CHILDREN'S FOUNDATION

मुख्य कार्यालय: ए -23, फ्रेंड्स कॉलोनी (वेस्ट), नई दिल्ली -110065
फोन: 011 475111111 | ई-मेल: info@satyarthi.org.in | वेबसाईट: www.satyarthi.org.in

बाल शोषण के खिलाफ शिकायत करें

1800-102-7222 (Toll-Free)